

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17102026-277255
SG-DL-E-17102026-277255असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 2026/आश्विन 23, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 251
No. 307]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2026/ASVINA 23, 1948	[N. C. T. D. No. 251

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIजिला मजिस्ट्रेट कार्यालय (उत्तर)
प्रारंभिक अधिसूचना

दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2026

फा. सं. 1(6)/एलएसी (उत्तर)एचसी/धनराज/2025/130.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं० एस०ओ० 2740 (ई), दिनांक 21 जुलाई, 2015 की एस०ओ० 2014 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उपयुक्त सरकार होने के नाते ऐसा मानते हैं कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बाहरी रिंग रोड को जीटी करनाल रोड से जोड़ने वाली सड़क संख्या 51 के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को आजादपुर, उप-प्रभाग/तहसील आदर्श नगर, उत्तर राजस्व जिले में खसरा संख्या 429/61/2 (1 बीघा – 01 बिस्वा) और 429/61/3 (1 बीघा – 00 बिस्वा) की कुल 2 बीघा 1 बिस्वा मापन भूमि की आवश्यकता है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 31 जनवरी, 2025 को रिट याचिका (आप०) संख्या 11854/2018 में धनराज सिंह जैन बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में आदेश द्वारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 से 10 तक का पालन करने की आवश्यकता नहीं होने का निर्देश देकर अधिग्रहण कार्यवाही को सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) से संबंधित प्रावधानों से छूट दी है।

अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम आजादपुर, उप-प्रभाग/तहसील आदर्श नगर, उत्तर राजस्व जिला, दिल्ली में उपर्युक्त परियोजना के लिए खसरा संख्या 429/61/2 (1 बीघा - 01 बिस्वा) और 429/61/3 (1 बीघा - 00 बिस्वा) की कुल 2 बीघा 1 बिस्वा मापन भूमि, जिसका विस्तृत विवरण नीचे भूमि अनुसूची में दिया गया है, अधिग्रहण के अधीन है: -

**भूमि अनुसूची
(भूमि का विवरण)**

क्र० सं०	खसरा संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधिग्रहण के अंतर्गत क्षेत्र (बीघा-बिस्वा में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम तथा पता	सीमाएँ			
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1	429/61/2	सरकारी भूमि	पहले से ही निर्मित सड़क	(1-01)	डीईएसयू	एन डी पी एल, टिम्बर दुकानें और सड़क नंबर - 51	जी टी रोड अंडरपास	सड़क एवं वाणिज्यिक परिसर	जीटी रोड की सर्विस रोड
2	429/61/3	निजी भूमि		(1-0)	गजराज सिंह जैन, धनराज सिंह जैन दोनों पुत्र श्रीपाल जैन				

वृक्ष	
किस्म	संख्या
शून्य	शून्य

संरचनाएँ	
प्रकार	प्लिथ क्षेत्र
शून्य	शून्य

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के प्रावधानों के अंतर्गत उन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए बनाई गई है।

उपयुक्त सरकार एतद् द्वारा उपायुक्त/कलेक्टर, उत्तर जिला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा उनके कर्मचारियों को उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित तथा विनिर्दिष्ट उनके कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित भूमि पर अपना स्वामित्व रखने तथा उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी स्तर पर भूमि का अधिग्रहण करने, भूमिगत खुदाई या छेद करने तथा समस्त अन्य कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत करती है।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (4) के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि का कोई भी लेनदेन या भूमि के किसी लेनदेन का कारण अर्थात् बिक्री/खरीद आदि अथवा ऐसी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा।

भूमि की योजना का निरीक्षण उपायुक्त/कलेक्टर, जिला उत्तर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5, शाम नाथ मार्ग, नई दिल्ली 110054 के कार्यालय में और कार्यकारी अभियंता, उत्तर सड़क प्रभाग, लोक निर्माण विभाग खालसा कॉलेज के सामने, मॉल रोड, नई दिल्ली - 110054 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर कार्य समय के दौरान किया जा सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सलोनी राय, आईएएस, कलेक्टर

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE (NORTH)
PRELIMINARY NOTIFICATION

Delhi, the 12th October, 2026

F. No.1(6)/LAC(N)HC/DHANRAJ/2025/130.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Notification No. S.O. 2740(E) dated 21st October, 2014, read with S.O. 2014(E) dated 21st July, 2015 of Ministry of Home Affairs, Government of India it appears to the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi being the appropriate Government that total land admeasuring 2 Bigha 1 Biswa of Khasra numbers 429/61/2 (1 Bigha - 01 Biswa) and 429/61/3(1 Bigha - 00 Biswa) in the Azadpur, Sub-division/Tehsil Adarsh Nagar, North revenue district to Public Works Department for public purpose, namely construction of road No. 51 to join the Outer Ring Road with GT Karnal Road.

The Hon'ble High Court of Delhi vide order dated 31st January, 2025 in WP(C) No. 11854/2018 titled as Dhanraj Singh Jain v/s Union of India & Ors, has exempted the acquisition proceedings from the provisions relating to Social Impact Assessment (SIA) by directing that sections 4 to 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 need not be followed.

Therefore, it is notified that for the above said project in Revenue Village Azadpur, Sub-division/Tehsil Adarsh Nagar, North revenue district, Delhi total land measuring 2 Bigha 1 Biswa of Khasra numbers 429/61/2 (1 Bigha - 01 Biswa) and 429/61/3(1 Bigha - 00 Biswa), whose detailed description is given below in schedule of land, is under acquisition:-

SCHEDULE OF LAND
(Specification of land)

Sr. No.	Khasra No	Type of Title	Type of Land	Area under acquisition (Bigha Biswa)	Name and address of person interested	Boundaries			
						N	S	E	W
1	429/61/2	Govt. Land	Already Road Constructed	(1-01)	DESU	NDPL, Timber Shops & Road No-51	GT Road Under Pass	Road & Commercial Complex	Service Road of GT Road
2	429/61/3	Pvt. Land		(1-0)	Gajraj Singh Jain, Dhanraj Singh Jain both S/o Shripal Jain				

Trees	
Variety	Number
NIL	NIL

Structures	
Type	Plinth Area
NIL	NIL

This notification is made under the provisions of section 11(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), to all whom it may concern.

The Appropriate Government is pleased to authorize Deputy Commissioner/Collector, North District, GNCT of Delhi and his staff to enter upon and survey land, take levels of any land, dig or bore into the sub-soil and do all other acts required for the proper execution of their work as provided and specified in section 12 of the said Act.

Under section 11(4) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, etc., or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without prior approval of the Collector.

A plan of the land may be inspected in the office of the Deputy Commissioner/Collector, District North, GNCT of Delhi 5, Sham Nath Marg New Delhi 110054 and in the Office of Executive Engineer, North Roads Division, PWD, Opposite Khalsa College, Mall Road, New Delhi – 110054 on any working day during the working hours.

By Order and in the Name of Hon'ble Lt. Governor,
National Capital Territory of Delhi,

SALONI RAI, IAS, Collector